24.12.25

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC ~~सबम~~ का अवलोकन कर दोनो पक्षो की बहस पर मनन कर प्रकरण प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC का निर्णय पृथक से जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रार्थना-पत्र O.7 R. 11 CPC का निस्तारण कर मूल प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है लिहाजा प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जाकर [illegible] अनुसार पेश कर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 68/2023

उनवान

मोगजी **बनाम** राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महादेय, बांसवाडा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी

निर्णय

दिनांक 24.12.2025

प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा पटवार हल्का आसोडा के मौजा [illegible] के खसरा नम्बर 32, 33, 34 का वाद पेश किया है। उक्त नम्बर सरकारी होकर गांव [illegible] में राजकीय विद्यालय के नाम अचारक्षित है। वादी ने पूर्व में अतिक्रमण की नोटीस पर वाद पेश कर दिया है। वादी इस भूमि का खातेदार कृषक नहीं है। मात्र खसरे पर सरकारी जमीन को अपना बताकर वाद पेश किया है। जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि आरक्षित है तथा विद्यालय के नाम आवंटित है। वादी का वाद बिना दस्तावेजी आधार के सरकारी भूमि पर प्रस्तुत किया [illegible] नहीं सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र का वादी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई

सी.पी.सी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया गया। जिसमें वाद–पत्र को नामंजुर किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। जो निम्नानुसार है।

वाद–पत्र का नामंजूर किया जाना. –वाद–पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहाँ वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता हैं;

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायाल से नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता हैय

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद–पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता हैय

(घ) जहाँ वाद–पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हैं;

(ङ) जहाँ यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है;,

(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों की अनुपालना में असफल रहता है;

परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्पदृपत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इन्कार किए जाने से वादी के प्रति गम्भीर अन्याय होगा ।,

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन एवं दोनो पक्षो की बहस पर मनन करने से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि बिला नाम दर्ज थी जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज रिकार्ड है। जिसको वर्ष 2023 में रा.उ.मा.वि. सामागडा को आवंटिन कर दिया गया है। वादी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के राजकीय भूमि में खातेदार घोषित किये जाने बाबत् वाद पेश किया गया है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 (घ) सी.पी. सी. के तहत् वर्जित है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण इस स्तर पर निस्तारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:18 IST
Reason: SelfAttested